संख्या- 36/2017/303/71-1-2017-जी-271/2016

प्रेषक

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 14 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्त सलाहकार को मानदेय/भत्ते एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की अन्य अपरिहार्य आवश्यकताओं हेतु विभिन्न मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017/146, दिनॉक 03-02-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्गत निजी मेडिकल कालेजों को विद्युत व्यवस्था से संबंधित फीडर की स्थापना हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 38,00,000/- (रू0 अड़तीस लाख मात्र) की बचत के सापेक्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्त सलाहकार को मानदेय/भत्ते एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने एवं चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अन्य व्ययों के वहन हेतु विभिन्न मानक मदों में रू0 38,00,000/- (रू0 अड़तीस लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-08-कार्यालय व्यय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय" की सुसंगत इकाईयों" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-191/दस-2017, दिनॉक 09 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-36/2017/303(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।